कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2516 /फिरोजाबाद/24640/2017, दिनांक, लखनऊ, जून 08, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : फिरोजाबाद में शिकोहाबाद–भौगाँव मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 चैनेज 0.000 से 19.5185 तक 04 लेन चौड़ीकरण हेतु 26.143158 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2414 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–4974/14–1, दिनांक 01.06.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

1– प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में गैर वनभूमि को भिन्न रंग से चिन्हित कर लीजेण्ड अंकित नहीं किया गया है।

2– संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

3– ऑनलाइन पार्ट–2 में बाधक 2414 वृक्षों का विवरण अपलोड है। प्रस्ताव के पृष्ठ–21 से 78 तक संलग्न सूची पर अंकित टिप्पणी से विदित होता है कि कालम–7 पर अंकित कुल 4252 पौधे भी प्रभावित हो रही हैं, किन्तु किसी भी अभिलेख यथा : संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आदि में परियोजना से प्रभावित पौधों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। परियोजना से प्रभावित 0–30 व्यासवर्ग के पौधों का प्रजातिवार एवं व्यासवर्ग वार सारॉश प्रस्ताव के साथ संलग्न करें, प्रभावित पौधों की वास्तविक संख्या का, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आदि में भी स्पष्ट उल्लेख करें तथा उपरोक्त संशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details पर अपलोड कराने एवं संशोधित ऑनलाइन पार्ट–2 की प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का करें।

4– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संलग्न जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र के साथ उसके संलग्नक यथाः सम्बन्धित ग्रामसभा, उप जिलास्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति की कार्यवाही संलग्न नहीं की गयी है। उचित होगा कि भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देश दि0 28.10.14 के आलोक में जिलाधिकारी का सरलीकृत प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W, प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

6– चौड़ीकरण के उपरान्त दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वनभूमि पर स्थान उपलब्धता के अनुसार 2 से 3 पंक्ति में वृक्षारोपण योजना 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से प्रस्तावक की पावर आफ एटार्नी संलग्न नहीं है। संलग्न करायें।

8– वन संरक्षक के स्तर से ऑनलाइन संस्तुति अंकित कर हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

9– परियोजना में दुगुने वनभूमि के अतिरिक्त प्रभावित 2414 वृक्षों के दुगुने अर्थात 4828 पौधों के रोपण हेतु रू0 2,13,39,760/–का प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक कर दें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, फिरोजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, आगरा को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, फिरोजाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

Q